

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

जिजातीय अधिकारी: नारायण सिंह चारण, आर0ए0एस0)

अपील नं० 80/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

दुलचन्द पुत्र कमल जाति गूर्जर निवासी मालीपुरा (शेरगढ) तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

.....रेस्पोडेन्ट



अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 19.09.2017 तहसीलदार बयाना मिसिल नम्बर 20/2017 उनवानी सरकार बनाम कप्तान अन्तर्गत राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

- 1-श्री दुलीचन्द अभिभाषक अपीलान्त,
- 2-पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 16.10.2019

अपीलान्त द्वारा यह अपील तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 19.09.2017 के खिलाफ पेश की गई है। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि आदेश न्यायालय तहसीलदार बयाना दिनांक 19.09.2017 विधि विरुद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है तो काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपीलान्त के द्वारा सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलान्त का छप्पर पोस कच्चा घर व गैतवाडे पूर्वजों के समय से स्थित है, जिनमें करीब 70-80 वर्ष पूर्व से अपने पूर्वजों के समय से ही

इसके अलावा चारा रखने आदि के लिये काम में  
के पास रहने, पशु बांधने व चारा रखने के  
के रहवास की भूमि को छीन लिया  
तो उसका परिवार सड़क पर आ जावेगा व नष्ट हो  
रिपोर्ट पेश की है उसी के आधार पर पश्चातवर्ती  
अपीलान्ट्स के विरुद्ध बेदखली के साथ 30 दिवस की सजा भी  
अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्तर पर प्रकरण की नियमानुसार जांच  
बिना अपीलान्ट पूर्वजों के समय से हुई तामीर को नीलाम करने व  
के आदेश दिये हैं जो निरस्त किये जाने योग्य है। पश्चातवर्ती  
होने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है, जब पूर्वजों के समय  
रहवास के लिये छप्परपोश कच्चा घर व पशु बांधने व चारा रखने के लिये  
गैतवाडा बना हुआ है तो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पूर्व में कब व कैसे  
बेदखल कर दिया यह बात स्पष्ट नहीं है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानना अवैधानिक  
है व आदेश अधीनस्थ न्यायालय काविल खारिजी है। अपीलान्ट को इस बाबत  
कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया उसे साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर नहीं  
दिया गया, उसका पक्ष जाने बिना मनमाने तरीके से स्थानीय राजनीतिक लोगों  
के साथ साज करके अपीलान्ट के विरुद्ध उसकी बैंक पर कार्यवाही करते हुये  
अपीलान्ट को बेदखल करके सजा सुना दी है। यह प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक  
सिद्धान्त के विरुद्ध है व आदेश तहसीलदार बयाना काबिल खारिजी के है।  
आदेश इकतरफा है अपीलान्ट को इसका पता नहीं चल सका था अपीलान्ट को  
इसका पता दिनांक 31.10.17 को पुलिस वालों से चला तथा उसी दिनांक को  
उसने तहसील में जाकर कार्यवाही का पता लगाया तथा उसी दिन नकल का  
प्रार्थना पत्र दिया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 31.10.2017 को प्राप्त हुई,  
इसे पढकर असल जानकारी प्राप्त हुई, जानकारी के दिनांक से अपील अन्दर  
म्याद पेश है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की  
जाकर आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 19.09.2017 को निरस्त फरमाने जाने  
का निवेदन किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों एवं तहत पत्रावली तलब की गई।  
तहसीलदार बयाना से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। योग्य  
अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों  
को दौहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट का किसी भी सरकारी रकवें पर  
कोई अतिक्रमण नहीं है। भूमि की पैमाईश करा ले यदि सड़क की भूमि हमारी

हैं तो हम भूमि छोड़ देगे। लगातार कब्जा करने एवं बेदखली का पत्रावली में उपलब्ध नहीं है इसलिये अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं आता है। अपीलान्त के पूर्वजों के समय से ही छप्पर पोस डाल के काम में लिया जा रहा है। अपीलान्त को समुचित साक्ष्य/सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ अदालत ने मनमाने तरीके से पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2017 अधीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्त द्वारा पूर्व में भी इस आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को बखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त के खिलाफ अधीनस्थ अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। अपीलान्त के हक में आज दिनांक तक उक्त भूमि का आवंटन/नियमन नहीं हुआ है यह भूमि रास्ता की भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलान्त किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। अपीलान्त राजकीय रास्ता की भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी भी है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्त आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौजूदा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से खसरा नम्बर 272/0.01 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन सडक वाकै ग्राम मालीपुरा (शेरगढ) पर अपीलान्त द्वारा छप्परपोश डाल कर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। दौराने बहस वकील अपीलान्त ने जाहिर किया है कि भूमि की पेमाईश करा ले अपीलान्त की भूमि में रास्ते की भूमि पाई जाती है तो वह छोड़ने को तैयार है। अपीलान्त द्वारा भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने की हिदायत देते हुये मौके से अतिक्रमण

कप्तान बनाम राजस्थान सरकार  
अपील 80/2017

उक्त आदेश को केवल सजा की हद तक निरस्त किया  
गया है।

उक्त अपील विवेचनानुसार अपील अपीलान्त सशर्त-आंशिक स्वीकार  
के साथ तहसीलदार बयाना को प्रतिप्रेषित की जाती है कि  
यदि चौके पर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया हो तो ही  
उक्त आदेश 19.09.2017 केवल सजा की हद तक निरस्त रहेगा, अन्यथा  
उक्त आदेश यथावत रहेगा।  
निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को सुनाया गया।